मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-17

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च, 2007 (चैत्र 9, 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 9.04 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. निधन उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सदस्य विधान सभा, डॉ. सवाई सिंह सिसोदिया के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये गये।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी, सदस्यगण श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, श्री रामलखन शर्मा, श्री लाखन सिंह बघेल, श्री मनमोहन शाह "बट्टी", तथा श्री हमीद काजी ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये.

सदन द्वारा दो मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के लिये संवेदना प्रकट की गई.

दिवंगतों के सम्मान में विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 9.12 बजे 5 मिनिट के लिए स्थगित होकर 9.19 बजे पुनः प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 85 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 113 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा प्रश्न संख्या-22 (क्रमांक-4078) "क्रय किये गये कम्प्यूटरों के भुगतान में की गई अनियमितता" संबंधी विषय पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 19 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा उन्होंने प्रदान की है यह सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी। इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा।

मै समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की तहसील बड़वाह के ग्राम ओखल में गौ सदन बन्द किये जाने एवं उस भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा कब्जा किये जाने,

(2) श्री ताराचंद गोयल (मैकेनिक), सदस्य की ग्राम मकड़ौन तहसील तराना जिला उज्जैन में 78 लाख रूपये की लागत से बिछाई गई पाईप में अनियमितता की जाने,

(3) श्री रामदास उईके, सदस्य की शहडोल जिले के विकास खण्ड ब्यौहारी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत पपोड़ में आदिवासी वर्ग की शिक्षिका को अवैधानिक रूप से हटाये जाने,

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के लहार तहसील ग्राम बरौल में प्राथमिक विद्यालय के छात्र/छात्राओं को मध्यान्ह भोजन न मिलने,

(5) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य की विधान सभा क्षेत्र नीमच के ग्राम हनुमन्तयों में सब स्टेशन स्थापित किये जाने,

(6) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य की भिण्ड जिले में चल रही परीक्षाओं में व्यापक अनियमितता होने,

(7) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य की रीवा जिले के डभौरा वन परिक्षेत्र अंतर्गत तेन्दूपत्ता श्रमिकों का भुगतान न होने,

(8) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य की भोपाल सेमरा कला स्थित भूमि पर अवैध कालोनी का निर्माण होने,

(9) श्री भक्तपाल सिंह, सदस्य की भोपाल के सुरूचि नगर स्थित नाले की निकासी न होने,

(10) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल स्थित सौरभ को-आपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा अनियमितता किये जाने,

(11) श्री दरबू सिंह उईके, सदस्य की बालाघाट जिले के विकास खण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत मानेगांव में पोहा मिल ग्राम के अन्दर स्थापित होने एवं गंदगी फैलाये जाने,

(12) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य की सतना नगर में प्रमुख चौराहों पर लगें ट्रेफिक सिग्नल अर्सों से खराब होने,

(13) श्री प्रेम सिंह पटेल, सदस्य की बड़वानी जिले के रेहगून बालकुआ मार्ग की जर्जर हालत होने,

(14) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य की शा.मा. विद्यालय क्र.1 तराना (उज्जैन) में पदस्थ निर्दोष शिक्षा कर्मी को दोषी मानकर निलम्बित किये जाने,

(15) श्री सोबरन सिंह (बाबूजी), सदस्य की जबलपुर जिले के शाहपुरा-नरसिंहपुर मार्ग की जर्जर हालत होने,

(16) श्री रामदयाल प्रभाकर, सदस्य की भिण्ड जिले के थाना आलमपुर ग्राम लहार भांपर में रेत की खदान में दबकर एक व्यक्ति की मृत्यु होने एवं शासन द्वारा राहत राशि न दी जाने,

(17) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की रीवा जिला अंतर्गत जिला पंचायत रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा वित्त आयोग की राशि में निर्माण कार्य नहीं कराये जाने,

(18) श्री जय सिंह मरावी, सदस्य की शहडोल जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सेवा सहकारी समिति के संचालक की जहरीली शराब पिलाने से एवं सदस्य के अपहरण होने, तथा

(19) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य की शारदा देवी मंदिर में तैनात सी.पी.एस. के जवानों द्वारा महिलाओं से छेड़छाड़ व मारपीट किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गई।

(श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्या ने उनके द्वारा दिये गये विषयों पर सदन में चर्चा न कराये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया)

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार थाना गैसाबाद गोली चालन जांच आयोग का प्रतिवेदन दिनांक 23 फरवरी, 2006 द्वारा श्रीमती मीना भट्ट जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह, शासन के संकल्प सहित,

(2) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम मर्यादित (समापनांतर्गत) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 (दिनांक 19-1-2005 से 18-1-2006 तक),

(3) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन,

(4) श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 31 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2005-2006,

(5) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सामाजिक न्याय विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-3-2006-छब्बीस-2, दिनांक 5 जनवरी, 2007; तथा

(ख) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1996) की धारा 65 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त निःशक्तजन, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006,

(6) श्री रुस्तम सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) (एफ) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006,

(7) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, जनसंपर्क ने मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान अधिनियम, 1990 (क्रमांक 15 सन् 1990) की धारा 36 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006,

पटल पर रखे।

5. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज की कार्य सूची में 26 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम आठ ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। उपस्थित सदस्यों की सूचनाओं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री सत्यदेव कटारे, श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य ने भिण्ड, मुरैना एवं पन्ना जिले में ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर जिले में आदिवासियों की भूमि के पट्टे निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री रामनिवास रावत एवं डॉ. गोविन्द सिंह सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा श्योपुर जिले में आदिवासियों की भूमि के पट्टे निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी ध्यानाकर्षण के मामले पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(4) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", सदस्य ने शिवपुरी जिले के ग्राम दबियागोविन्द में स्कूल भवन को विस्फोटक सामग्री से उड़ाने का प्रयास किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) श्री शिवराज शाह "शिवा भैया", सदस्य ने मंडला जिले के रंगरेज घाट पर पुल निर्माण हेतु ठेका निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) सर्वश्री राजेश पटेल, सज्जन सिंह वर्मा, सत्यदेव कटारे, सदस्य ने रायसेन जिले के उदयपुरा क्षेत्र में राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर प्रकरण बनाये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(7) सर्वश्री इन्द्रजीत कुमार, हुकुमचन्द यादव, गिरिराज मण्डलोई, सदस्य ने होम्योपैथी एवं आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पद एक ही संवर्ग में कायम किये जाने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अजय विश्नोई, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(8) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य ने सागर जिले के जैसीनगर जनपद के अंतर्गत कला मंडलियों को राशि न मिलने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रूस्तम सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार पढ़ी हुई मानी गई सूचनाएं -

(9) सर्वश्री उमाशंकर गुप्ता, भक्तपाल सिंह, सदस्य की भोपाल के मालवीय नगर में नजूल भूमि का अवैध आवंटन होने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(10) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामलखन शर्मा, सदस्य की भोपाल में ब्यूटी एवं मसाज पार्लर की आड़ में जिस्म फरोशी का कारोबार होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(11) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री अजय सिंह "राहुल भैया", उमाशंकर गुप्ता, सदस्य की प्रदेश के अनेक जिलों में सर्वशिक्षा अभियान की किताबें कबाड़ी को बेची जाने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(12) श्री रामनिवास रावत, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, श्री आरिफ अकील, सदस्य की प्रदेश में संचालित नर्सिंग कॉलेजों द्वारा इंडियन नर्सिंग कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति न किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(13) सर्वश्री राजेश पटेल, रामलखन शर्मा, सदस्य की भोपाल जिले के ग्राम पड़रिया में कृषक के साथ मारपीट किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(14) डॉ. गोविन्द सिंह, डॉ. सुनीलम्, कुंवर विजय बहादुर सिंह बुंदेला, सदस्य की छतरपुर के बकायन खिड़की मोहल्ला में बारातियों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(15) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सर्वश्री रविन्द्र सुका महाजन, सत्यदेव कटारे, सदस्य की प्रदेश के अनेक जिलों में पेयजल परीक्षण किट्स के क्रय में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य।

(16) सर्वश्री दिलीप भटेरे, बोध सिंह भगत, सदस्य की बालाघाट जिले के महाराष्ट्र सीमा पर छोटी बाग नदी पर बने केटीवियर्स से कई गांव डूब में आने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(17) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की बैतूल जिले के सालबर्डी में एक युवक पर प्राण घातक हमला किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(18) श्री जगन्नाथ सिंह, सदस्य की बालाघाट जिले में वन विकास अधिकरण योजना के तहत रोजगार कार्य में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य।

(19) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य की सागर जिले के कबूलापुरा-मोती नगर सड़क निर्माण में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य।

(20) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज द्वारा चिकित्सक पर केरोसिन डालकर जलाये जाने संबंधी सूचना तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(21) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य की देवास जिले के ग्राम नयापुरा में चिकित्सा के अभाव में मौत की घटना होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(22) श्री सत्यदेव कटारे, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, श्री आरिफ अकील, सदस्य की मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित डिग्री को निरस्त किये जाने की अनुशंसा किये जाने संबंधी सूचना तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(23) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल के कमला नगर थानान्तर्गत क्षेत्र में पत्रकार पर हमले से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(24) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री रामलखन शर्मा, सदस्य की माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाये जाने में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(25) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य की प्रदेश के अनेक जिलों में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(26) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य की भिण्ड जिले में रेत ठेकेदारों द्वारा रायल्टी कर की चोरी किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री खनिज साधन का वक्तव्य।

6. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 29 मार्च, 2007 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों पर चर्चा हेतु उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्रमांक	विधेयक	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 7 सन् 2007)	30 मिनिट
2.	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 8 सन् 2007)	30 मिनिट
3.	मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 9 सन् 2007)	30 मिनिट
4.	मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 10 सन् 2007)	30 मिनिट
5.	मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 14 सन् 2007)	30 मिनिट
6.	महर्षि पतञ्जलि संस्कृत संस्थान विधेयक, 2007 (क्रमांक 12 सन् 2007)	1 घन्टा
7.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007)	1 घन्टा
8.	मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन संशोधन विधेयक, 2007 (क्रमांक 11 सन् 2007)	30 मिनिट

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि दि. 2 अप्रैल से 5 अप्रैल, 2007 तक सदन की बैठकें न रखी जाय।

अब इसके संबंध में डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृत देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्रीमती सुधा जैन, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का बयालीसवां, तैंतालीसवां, चवालीसवां, पैंतालीसवां, छियालीसवां, सैंतालीसवां, अड़तालीसवां, उनचासवां, पचासवां, इक्यावनवां, बावनवां एवं तिरपनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8. नियम 228 के अंतर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री नरेश दिवाकर (डी.एन), सभापति ने मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि :-

1. श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष द्वारा श्री अजय विश्नोई, मंत्री, मध्यप्रदेश शासन के विरूद्ध एवं
2. श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री अजय विश्नोई, मंत्री, मद्यप्रदेश शासन के विरूद्ध समिति को जांच एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. अनुमति प्राप्त विधेयक

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के वर्तमान सत्र में पारित न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) संशोधन विधेयक, 2007 (क्रमांक 2 सन् 2007)-(अधिनियम क्रमांक-5 सन् 2007) तथा मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2007 (क्रमांक 5 सन् 2007)-(अधिनियम क्रमांक-6 सन् 2007) को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है।

10. नियम-239 के अंतर्गत सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उनके पास निम्नांकित विशेषाधिकार भंग की सूचना विचाराधीन है :-

1. श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य विधान सभा द्वारा रेल्वे के सतर्कता अधिकारियों के विरूद्ध।

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य की सीधी जिले के -

(क) ग्राम खेखड़ा टोला पाल में विद्युतीकरण कराये जाने, तथा

(ख) ग्राम सगनरा के पलहवा टोला एवं परसिंधवा टोला मे विद्युतीकरण कराये जाने,

(2) श्री राजेश पटेल, सदस्य की भोपाल शहर के वार्ड क्र. 22 में पाईप लाईन बदलने तथा पर्याप्त जल की व्यवस्था करने,

(3) श्री ताराचन्द बावरिया, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के परासिया नगर में उप-जेल स्थापित किये जाने,

(4) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा), सदस्य की बालाघाट जिले के -

(क) ग्राम लिंगमारा को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित कराये जाने, तथा

(ख) ग्राम रामपायली को पर्यटन क्षेत्र घोषित कराये जाने,

(5) श्री बृजेन्द्र प्रताप, सदस्य की पन्ना जिले के -

(क) ग्राम बछौन स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(ख) ग्राम पंचायत नांदचांद में कुन्दहा नाला पर स्टाप डेम बनाये जाने, तथा

(ग) बरगी व्यपवर्तन योजना के कमाण्ड क्षेत्र में शाहनगर को शामिल किये जाने,

(6) श्री रामलाल रौतेल, सदस्य की अनूपपुर जिले के ग्राम दुलहरा, पिपरिया, कांसा, पगना एवं गोबरी तक पहुंच मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने, एवं

(7) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य की भोपाल शहर के लक्ष्मी टाकीज से जुमेराती जनकपुरी तक अतिक्रमण हटाये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई।

12. घोषणा

अध्यक्ष महोदय ने सदन में घोषणा की कि उन्होंने मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2007 एवं मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) विधेयक, 2007 की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए नियमावली के नियम 65 के प्रथम परन्तुक तथा स्थायी आदेश की कंडिका 24 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को शिथिल कर आज ही सदन में पुरःस्थापित करने तथा उन पर विचार किये जाने की अनुमति प्रदान की है।

मैं समझता हूँ सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 14 सन् 2007) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री तुकोजीराव पवार, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा ने प्रस्ताव किया कि राज्यपाल द्वारा लौटाये गये मध्यप्रदेश निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 (क्रमांक 22 सन् 2003) पर पुनर्विचार किया जाय.

मध्यप्रदेश निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विधेयक,2003 (क्रमांक 22 सन् 2003) को वापस लिया जाना

श्री तुकोजीराव पवार, राज्यमंत्री (उच्च शिक्षा) ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2003 को यथापारित मध्यप्रदेश निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 पर राज्यपाल के संदेश दिनांक 30 अप्रैल, 2005 के अनुसरण में पुनर्विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री तुकोजीराव पवार, राज्यमंत्री (उच्च शिक्षा) ने प्रस्तुत किया कि पुनर्विचार हेतु लौटाये गये मध्यप्रदेश निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 को वापस लिये जाने की अनुमति दी जाय।

अनुमति प्रदान की गई।

विधेयक वापस लिया गया।

(3) श्री तुकोजीराव पवार, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(4) श्री रुस्तम सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 7 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(1) श्री सत्यदेव कटारे

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्री दुर्गालाल विजय

(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

(4) श्री रामलखन शर्मा

(5) श्री रामनिवास रावत

(6) श्रीमती अर्चना चिटनीस

(7) श्री लाल सिंह आर्य

श्री रुस्तम सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 18 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री रुस्तम सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 7 सन् 2007) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(5) श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 8 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्रीमती सुधा जैन

(3) श्री रामलखन शर्मा

(4) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

(5) श्रीमती अर्चना चिटनीस

(6) सुश्री ऊषा ठाकुर

श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 सर्वसम्मति से विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 8 सन् 2007) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(6) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 9 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. निशिथ पटेल

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता

(3) श्री ओमप्रकाश सखलेचा

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड-11

श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खण्ड-11 में इस प्रकार संशोधन किया जाय।

खण्ड-11 के उप खण्ड (एक) में शब्द क्रमशः "दस गुना" तथा "आठ गुना" के स्थान पर शब्द "पांच गुना" तथा "चार गुना" स्थापित किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 14 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 9सन् 2007) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(7) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 10 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. निशिथ पटेल

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड-6

श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खण्ड-6 में इस प्रकार संशोधन किया जाय :-

उपखण्ड (बारह) की मद-61 में शब्दावली "भारत में निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर का लोप किया जाय" तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 7 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 10 सन् 2007) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(8) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि महर्षि पतञ्जलि संस्कृत संस्थान विधेयक, 2007 (क्रमांक 12 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार

(3) श्री रामलखन शर्मा

(श्री रामलखन शर्मा, सदस्य द्वारा सदन में विधेयक की प्रति को फेंका गया)

(4) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

(5) श्री उमाशंकर गुप्ता

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 38 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि महर्षि पतञ्जलि संस्कृत संस्थान विधेयक, 2007 (क्रमांक 12 सन् 2007) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(9) श्री तुकोजीराव पवार, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए.

(1) श्री सत्यदेव कटारे

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार

(3) श्री रामलखन शर्मा

(4) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

(5) श्री दुर्गालाल विजय

श्री तुकोजीराव पवार, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 43 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री तुकोजीराव पवार, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(10) श्री राघवजी, बीस सूत्र कार्यान्वयन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन संशोधन विधेयक, 2007 (क्रमांक 11 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री राघवजी, बीस सूत्र कार्यान्वयन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, बीस सूत्र कार्यान्वयन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन संशोधन विधेयक, 2007 (क्रमांक 11 सन् 2007) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(11) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 14 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 14 सन् 2007) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

14. समितियों का निर्वाचन

लोक लेखा समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की कि लोक लेखा समिति के लिए नाम वापसी के पश्चात् केवल 10 उम्मीदवार हैं, चूंकि इस समिति के लिए केवल 11 सदस्य निर्वाचित किये जाने हैं अत: मैं निम्नांकित सभी 10 सदस्यों को लोक लेखा समिति के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं :-

1. श्रीमती अलका जैन
2. श्री इन्द्रजीत कुमार
3. श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा
4. श्री कृष्ण कुमार सिंह (भंवर साहब)
5. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला
6. श्री ध्यानेन्द्र सिंह
7. श्री बृजमोहनदास धूत
8. श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
9. श्री हरनाम सिंह राठौर (भैया)
10. श्री ज्ञान सिंह

श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

प्राक्कलन समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की कि प्राक्कलन समिति के लिए नाम वापसी के पश्चात् केवल 11 उम्मीदवार हैं, चूंकि इस समिति के लिए केवल 11 सदस्य निर्वाचित किये जाने हैं अतः मैं निम्नांकित सदस्यों को प्राक्कलन समिति के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं :-

1. श्री करण सिंह वर्मा
2. श्री कैलाश चावला
3. श्री गोविन्द सिंह राजपूत
4. डॉ. ढाल सिंह बिसेन
5. श्री धुलजी चौधरी
6. सुश्री निर्मला भूरिया
7. श्री बृजेन्द्र तिवारी
8. श्री मधुकर हर्णे
9. श्री रामनिवास रावत
10. श्रीमती सुधा जैन
11. श्री हरीवल्लभ शुक्ला

श्रीमती सुधा जैन, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की कि सरकारी उपक्रम समिति के लिए नाम वापसी के पश्चात् केवल 11 उम्मीदवार हैं, चूंकि इस समिति के लिए केवल 11 सदस्य निर्वाचित किये जाने हैं अतः मैं निम्नांकित सदस्यों को सरकारी उपक्रम समिति के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं :-

1. श्री उमाशंकर गुप्ता
2. श्री गजराज सिंह सिकरवार
3. श्री गोपीलाल जाटव
4. श्री दिलीप भटेरे
5. श्री नरेश दिवाकर (डी.एन.)
6. श्री नानालाल पाटीदार
7. श्री राजनारायण सिंह पुरनी
8. श्री राजेश पटेल
9. कुंवर लवकेश सिंह
10. श्रीमती सरोज बच्चन नायक
11. श्री हरिशंकर खटीक

श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए नाम वापसी के पश्चात् केवल 15 उम्मीदवार हैं, चूंकि इस समिति के लिए केवल 15 सदस्य निर्वाचित किये जाने हैं अतः मैं निम्नांकित सदस्यों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं :-

1. श्री अमर सिंह कोठार
2. श्री अंचल सोनकर
3. डॉ. कमलापत आर्य
4. श्री गिरिराज मण्डलोई
5. श्री गिरीश गौतम
6. श्री जगन्नाथ सिंह (देवसर)
7. श्री दुर्गालाल विजय
8. डॉ. निशिथ पटेल
9. श्री पवेंसिंह पारगी
10. श्रीमती पुष्पलता लिखीराम कावरे
11. श्री मनमोहन शाह बट्टी
12. श्री मारोतराव खवसे
13. श्रीमती रंजना बघेल
14. श्री सज्जन सिंह वर्मा
15. श्री हुकुम चंद यादव

श्री अंचल सोनकर, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

नाम-निर्दिष्ट समितियों का गठन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की कि मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203 (1), 208(1), 213, 216(1), 224(1), 225(1), 231(2), 232, 233(1), 234-ग तथा नियम 234-घ(2) के अधीन वर्ष 2007-2008 की अवधि में सेवा करने के लिये, विधानसभा की निम्नांकित समितियों हेतु सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट करते हुए नियम 180 के उप-नियम (1) के अधीन उनके सभापतियों को एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है :-

कार्य मंत्रणा समिति

1. श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री
2. श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष, मध्यप्रदेश विधानसभा
3. श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री
4. श्री राघवजी, वित्त मंत्री
5. डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री
6. श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री
7. श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री
8. श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री
9. श्री अंतर सिंह आर्य, जेल मंत्री
10. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर
11. श्रीमती सुधा जैन
12. डॉ. गोविन्द सिंह
13. श्री सज्जन सिंह वर्मा
14. श्री लाखन सिंह बघेल

माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधानसभा इस समिति के सभापति होंगे.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

1. श्री छोटेलाल सरावगी (खुद्दी भैया)
2. श्री दिलीप सिंह परिहार
3. श्री शांति लाल धबाई
4. श्री जगदीश मुवेल
5. श्री पंडित सिंह धुर्वे
6. श्री राजेन्द्र कुमार सिंह
7. श्री अर्जुन पलिया

श्री जगदीश मुवेल, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

याचिका समिति

1. श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह
2. श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी "वकील"
3. श्री ओमप्रकाश पुरोहित (वकील)
4. श्री दीपक कैलाश जोशी
5. श्री रामदास उईके
6. डॉ. नारायण परमार
7. श्री ध्रुवप्रताप सिंह (दीपक भैया)
8. श्री दीवान सिंह पटेल
9. श्री गोविन्द सिंह राजपूत
10. श्री उम्मेद सिंह बना
11. श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा

श्री दीवान सिंह पटेल, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

प्रत्यायुक्त विधान समिति

1. श्रीमती सुशीला राकेश सिरोठिया
2. श्री रामप्यारे कुलस्ते
3. श्रीमती रेखा रत्नाकर
4. श्री शिवराज शाह "शिवा भैया"
5. श्री गिरिजाशंकर शर्मा
6. श्री हरीसिंह रघुवंशी हरीपुर
7. श्री देवी सिंह पटेल
8. श्री राजेश यादव
9. श्री घनश्याम सिंह
10. श्री गोपाल सिंह चौहान (डग्गीराजा)
11. श्री दिलीप सिंह गुर्जर

श्री देवी सिंह पटेल, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

1. श्री मनोहरलाल राठौर
2. श्री कन्हैयालाल रामेश्वर अग्रवाल
3. श्री राजेन्द्र शुक्ला
4. श्री बंशीलाल जाटव
5. श्री जयसिंह मरावी
6. श्री अनूप सिंह मरावी
7. श्री धूल सिंह
8. श्री गुरुचरण सिंह
9. श्री प्रियव्रत सिंह
10. श्रीमती सुनीता बेले
11 श्री हमीद काज़ी

श्री मनोहरलाल राठौर, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

विशेषाधिकार समिति

1. श्री नरेश दिवाकर (डी.एन.)
2. श्री लाल सिंह आर्य
3. कुंवर फूल सिंह मेवाड़ा
4. श्री पंचूलाल प्रजापति
5. श्री बोध सिंह भगत
6. श्रीमती शशि ठाकुर
7. श्री रघुनाथ सिंह मालवीय
8. श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल
9. श्री हुकुम सिंह कराड़ा
10. श्री प्रेमचंद गुड्डू

श्री नरेश दिवाकर (डी.एन.), सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

नियम समिति

1. डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री
2. श्री भक्तपाल सिंह
3. श्री कैलाश चावला
4. डॉ. ढाल सिंह बिसेन
5. श्री शरद जैन (एडव्होकेट)
6. श्री रमेश सक्सेना
7. श्री दलसिंह सोलंकी
8. श्री माधो सिंह
9. श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव
10. श्री सुखदेव पांसे

माननीय अध्यक्ष मध्यप्रदेश विधान सभा इस समिति के सभापति होंगे.

सदन समिति

1. श्री हरेन्द्रजीत सिंह "बब्बू"
2. श्री रामदयाल अहिरवार
3. श्री बहादुर सिंह
4. श्री नानाभाऊ मोहोड़
5. श्री प्रेम सिंह पटेल
6. श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा)
7. श्री दुलीचंद उरैती

श्री हरेन्द्रजीत सिंह "बब्बू", सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

पुस्तकालय समिति

1. सुश्री निर्मला भूरिया
2. श्री ज्ञान सिंह
3. डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
4. पं. रमेश दुबे
5. श्री मुकाम सिंह निगवाल

6. श्री भगत सिंह नेताम
7. श्री अंचल सोनकर
8. श्री शिवप्रसाद राठौर
9. श्री ताराचन्द गोयल (मैकेनिक)
10. श्री अन्तर सिंह दरबार
11. श्री अशोक सिंह सरस्वार
12. ठा. सोबरन सिंह बाबूजी
13. श्री शरद जैन (एडव्होकेट)
14. श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर

श्री ज्ञान सिंह, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति

1. श्री धरमू राय
2. श्री श्यामलाल पंथी
3. श्री सुदामा सिंह
4. श्री जसवंत सिंह राठौर (एडव्होकेट)
5. श्री देवेन्द्र वर्मा
6. श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी
7. श्री रामदयाल प्रभाकर
8. श्री कपूरचंद घुवारा
9. श्री आरिफ अकील
10. श्री अश्विन जोशी
11. श्री गोविन्द सिंह पटेल

श्री धरमू राय, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति

1. श्रीमती सोनाबाई सेवकराम अहिरवार
2. श्री ध्यानेन्द्र सिंह
3. श्री लाल सिंह आर्य
4. श्री ओमप्रकाश खटीक
5. श्रीमती संध्या राय

6. श्री मेहरबान सिंह रावत
7. श्री ताराचन्द बावरिया
8. श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़)
9. श्री सत्यदेव कटारे
10. श्री रविन्द्र सुका महाजन
11. श्रीमती एल.बी. लोबो.

श्री लाल सिंह आर्य, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

16. अशासकीय संकल्प

(श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य का मीणा, दहायत एवं कोटवार जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया जाय" तथा श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य का प्रत्येक जिला चिकित्सालय में चिल्ड्रन नर्सरी (बच्चा वार्ड) स्थापित किया जाय" संबंधी अशासकीय संकल्प सदन से अनुपस्थिति के कारण सदन में प्रस्तुत नहीं हो सका)

(1) सर्वश्री (उमाशंकर गुप्ता), सत्यदेव कटारे, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"सदन का यह मत है कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य चुनी हुई ग्राम पंचायतों के माध्यम से किये जायं".

श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य ने संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापस हुआ।

17. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर निम्नानुसार उद्गार व्यक्त किये गये :-

सदन में उद्बोधन दिया कि मध्यप्रदेश की बारहवीं विधान सभा का यह ग्यारहवां सत्र अब समापन की ओर अग्रसर है। चालीस दिवसीय इस सत्र में सत्रह बैठकें संपन्न हुई। यह सत्र 5 अप्रैल तक प्रस्तावित था किंतु समस्त कार्य पूर्ण हो जाने से इसे सर्वसम्मति से आज स्थगित करने का निर्णय लिया गया। यह सत्र भले ही निर्धारित समय से पूर्व स्थगित हो रहा है किन्तु हमने भोजनावकाश निरस्त कर और देर रात्रि तक बैठकर और शनिवार को भी बैठक करके सभा के समक्ष आए कार्यों को संपादित किया।

इस सत्र में विधायी, वित्तीय और लोक महत्व के कार्य संपन्न हुए।

सदन ने इस सत्र में वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों को अपनी मंजूरी दी, वहीं वर्ष 2006-2007 की तृतीय अनुपूरक मांगों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

सत्र के दौरान 14 शासकीय विधेयक पारित हुए।

इस सत्र में कुल 6656 प्रश्न प्राप्त हुए जिसमें 4165 तारांकित प्रश्न एवं 2491 अतारांकित प्रश्न थे।सत्र में कुल 850 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुई। सदन ने 03 अशासकीय संकल्प पारित किए एवं सदन में 149 याचिकाओं की सूचनाएं प्रस्तुत हुई तथा सत्र के दौरान विशेषाधिकार भंग की 3 सूचनाएं प्राप्त हुई। अनेक सभा समितियों के प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किये गये।

इस सत्र के दौरान सम्पन्न कार्यों की बहुलता लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था, विश्वास, निष्ठा और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है क्योंकि यही वह श्रेष्ठ व्यवस्था है, जिसमें विमत का सम्मान, सामूहिक विचार विमर्श एवं सर्वसम्मत निर्णय से लोगों के कल्याण उनकी सुख समृद्धि और देश प्रदेश की बेहतरी की कामना की जाती है।

हमारी विधान सभा 50 वर्ष की और यह प्रदेश भी 50 वर्ष का हो चुका है।

इन पांच दशकों में प्रदेश ने प्रगति के अनेक सोपान तय किये हैं और विधान सभा ने भी लोकतंत्र को पुष्ट, परिपक्व एवं समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतीत का समय उपलब्धियों से भरा हुआ है, तो वर्तमान की कुछ समस्याएं भी है, जिन्हें सुखद और सुन्दर भविष्य के निर्माण के लिए दूर करने का दायित्व भी हम सभी पर है। हम सभी का यही प्रयास होना चाहिए कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के प्रकाश में इस व्यवस्था के तहत सभी नागरिकों की अधिकतम सेवा और उनका हित साध सकें। प्रजातंत्र की मूल भावना सबके विचारों को समाहित करके जन कल्याण की योजनाओं को पूरा करने की है। इस दिशा में यह विधान सभा तथा हमारे सदस्य लगातार प्रयासरत रहे, इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं।

इस अवसर पर मैं सदन के कार्यसंचालन में मुझे सहयोग प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीया नेता प्रतिपक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, सभापति तालिका के माननीय सदस्यगण एवं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

मैं विधान सभा सचिवालय एवं शासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सुरक्षाकर्मियों को कुशलतापूर्वक अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए भी धन्यवाद देता हूं।

इस अवसर पर मैं प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने विधान सभा की कार्यवाही जन-जन तक पहुंचाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई।

हम सभी पावस सत्र में पुनः समवेत् होंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देते हुए प्रदेश के नागरिकों की खुशहाली की कामना करता हूं। धन्यवाद।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुनादेवी, उपाध्यक्ष महोदय श्री हजारीलाल रघुवंशी, सदस्यगण श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, श्री रामलखन शर्मा, श्री मनमोहन शाह "बट्टी" तथा श्री लाखन सिंह बघेल ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किये।

18. राष्ट्रगान

सदन में माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूह गान किया गया।

19. सत्र का अनिश्चित काल के लिए स्थगन

3 बज कर 34 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.